

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2121
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पालना योजना

2121. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से पालना योजना के अंतर्गत नवजात बालिकाओं को पालना किट के वितरण में कोई अनियमितता की सूचना मिली है और यदि हां, तो तस्बिंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा इसकी निगरानी के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है/लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तस्बिंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुछ लाभार्थियों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण पात्र माताएं लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तस्बिंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) जन जागरूकता और शिकायत निवारण सहित उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना योजना आरंभ की है। पालना योजना के अंतर्गत नवजात बालिकाओं को पालना किट वितरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित परिवेश में गुणवत्तापूर्ण डे केयर क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास की निगरानी और टीकाकरण करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोज़गार स्थिति कुछ भी हो।

पालना योजना के आंगनवाड़ी-सह-क्रेच घटक के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, केन्द्र और राज्य स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी और समीक्षा ढांचे के अधीन हैं। मंत्रालय ने पालना योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और राष्ट्रीय न्यूनतम मानक और प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिनमें आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में आवश्यक वस्तुओं की सांकेतिक सूची, विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा तथा योजना के तहत क्रेचों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक मानदंड और गुणवत्ता पैरामीटर भी शामिल हैं।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) सभी नागरिकों के लिए 24x7x365 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्य की इस प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुँच है। सीपीजीआरएएमएस नागरिकों के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकने वाले स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है।

सीपीजीआरएएमएस में दर्ज शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। सीपीजीआरएएमएस, नागरिकों को शिकायत अधिकारी द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट न होने पर अपील की सुविधा भी प्रदान करता है। शिकायत निपटान के बाद, यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह फीडबैक भी दे सकता है। उपयुक्त प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो आगे की सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नियमित आधार पर शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हैं।
